संख्या : 820 / श0वि0 / आ0–05–159(सामान्य) / 2003टी.सी.

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

आवास अनुभाग

देहरादून, दिनांक 10 मार्च, 2005

विषय : 11वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत उन्नयन एवं विशेष समस्या अनुदान के अन्तर्गत भीमताल झील के पुनर्जीवीकरण एवं सम्वर्द्धन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक योजना के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित आगणनों के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि 11वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत उन्नयन एवं विशेष समस्या अनुदान के अन्तर्गत नलकूपों की लाइफ बढ़ाये जाने हेतु स्टेनलिस स्टील स्क्रीन के प्रयोग हेतु प्रेषित आगणन रू0 23.20 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष टी0ए0 सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि कुल रू0 23.00लाख (रू0 तेइस लाख मात्र) की लागत के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि दिनांकः 31 मार्च, 2005 तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा मे धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जा सकेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यो पर सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीक दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टयों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी ।

(5) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाये। एक मुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किस तकनीक अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता ही किश्तों मे आहरित किया जायेगा।

(7) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लिया जाये एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाये।

(9) निर्माण कार्य पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(10) कार्य प्रत्येक दशा में दिनांकः 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर 31–3–2005 तक उक्त कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(11) कार्यो की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभाग/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। कार्य की समयबद्धता हेतु जिलाधिकारी,निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध करके उन पर पैनाल्टी क्लाज लगाये जाने पर भी विचार कर सकते हैं।

(12) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(13) उपकरणों/सामग्रियों आदि का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–03–वित्त विभाग/टी0ए0सी0–अनुभाग देहरादून दिनांक 23–10–2003 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(15) कार्य कराने से पूर्व स्थल का संयुक्त निरीक्षण भू–गर्भवेत्ता से करा लिया जाये एवं भू–गर्भवेत्ता द्वारा दी गयी राय एवं निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर ही कार्य किया

जाये तथा भूकम्प उपचारों को ध्यान में रखा जाये ताकि बाद में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्यय के अनुदान सं0–13–लेखा शीर्षक 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत झीलों का पुनरोद्धार–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0: 780/वि0अनु0–3/2005, दिनांक: 10 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली)
उप सचिव

संख्या : 820 (I)/श0वि0/आ0–05 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
4. सचिव, नैनीताल झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
5. अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
7. नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग–3 ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
9. बजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
अनु सचिव